

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरौही

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 7337-44

दिनांक 10.12.2021

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड ने ग्राम पंचायत तलेटी के ग्राम तलेटी में पर्यटन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ उपयुक्त भूमि का चयन करने हेतु सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत एवं तहसीलदार, आबूरोड के साथ संयुक्त रूप से सर्वे कर पर्यटन के लिये राजकीय भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर ग्राम तलेटी, तहसील आबूरोड के निम्नांकित खसरा नम्बरान की कुल किता 74 कुल रकबा 86.7452 हैक्टेयर भूमि को औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का प्रस्ताव अपनी अभिशंषा के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया है:-

मौजा तलेटी, ग्राम पंचायत तलेटी, पटवार हल्का जाम्बूडी, तहसील आबूरोड				
क्र.सं.	खसरा नंबर	किस्म	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	आरक्षित रकबा (हैक्टेयर में)
1	358	गै.मु.मगरी	2.0485	2.0485
2	342	गै.मु.मगरी	0.0759	0.0759
3	344	गै.मु.मगरी	0.0506	0.0506
4	371	बारानी-2	0.4299	0.4299
5	361	गै.मु.मगरी	0.2150	0.2150
6	366	गै.मु.मगरी	0.4679	0.4679
7	377	गै.मु.मगरी	0.0759	0.0759
8	332	गै.मु.मगरी	0.0885	0.0885
9	334	गै.मु.मगरी	2.0738	2.0738
10	267	गै.मु.मगरी	1.5933	1.5933
11	266	गै.मु.मगरी	0.2655	0.2655
12	314	गै.मु.मगरी	1.1001	1.1001
13	316	गै.मु.मगरी	0.3794	0.3794
14	318	गै.मु.मगरी	0.1012	0.1012
15	404	गै.मु.मगरी	3.6038	3.6038
16	405	गै.मु.मगरी	5.1212	5.1212
17	410	गै.मु.मगरी	0.5058	0.5058
18	426	बारानी-2	0.1391	0.1391
19	427	बारानी-2	0.1391	0.1391
20	428	बारानी-2	0.1265	0.1265
21	429	गै.मु.मगरी	0.3794	0.3794
22	175	गै.मु.मगरी	0.1012	0.1012
23	188	गै.मु.मगरी	0.2403	0.2403
24	476/1	गै.मु.मगरी	0.4046	0.4046
25	477	गै.मु.मगरी	0.2908	0.2908

(2)

26	480	गै.मु.मगरी	0.5817	0.5817
27	1128	गै.मु.मगरी	0.3541	0.3541
28	1142/2	गै.मु.मगरी	0.0506	0.0506
29	1143/2	गै.मु.मगरी	0.1517	0.1517
30	1139	गै.मु.मगरी	1.9853	1.9853
31	1158	गै.मु.मगरी	1.6691	1.6691
32	1159	गै.मु.मगरी	0.2782	0.2782
33	863/2	गै.मु.मगरी	2.8831	2.8831
34	1258	गै.मु.मगरी	1.9473	1.9473
35	1184/2	गै.मु.मगरी	0.1265	0.1265
36	1259	गै.मु.मगरी	0.4046	0.4046
37	1260	गै.मु.मगरी	2.2129	2.2129
38	1383	गै.मु.मगरी	1.5933	1.5933
39	1388	गै.मु.मगरी	0.1517	0.1517
40	1389	गै.मु.मगरी	1.2139	1.2139
41	1431	गै.मु.पत्थर	0.1517	0.1517
42	1435	गै.मु.मगरी	0.0632	0.0632
43	1393	गै.मु.मगरी	0.3541	0.3541
44	1379	गै.मु.मगरी	8.6871	8.6871
45	1471	गै.मु.मगरी	9.8884	9.8884
46	1407	बंजर	0.0379	0.0379
47	1408	गै.मु.मगरी	0.4426	0.4426
48	1411	बारानी-1	0.0632	0.0632
49	1474	गै.मु.मगरी	1.7956	1.7956
50	1467	गै.मु.मगरी	0.1265	0.1265
51	1460	गै.मु.मगरी	0.2529	0.2529
52	1458	गै.मु.मगरी	0.0506	0.0506
53	1405	बंजर	0.1644	0.1644
54	1344	गै.मु.मगरी	0.1138	0.1138
55	1345	गै.मु.मगरी	0.0253	0.0253
56	1347	गै.मु.मगरी	0.4173	0.4173
57	1349	गै.मु.मगरी	0.0632	0.0632
58	1351	गै.मु.पत्थर	0.0632	0.0632
59	1371	गै.मु.मगरी	1.9600	1.9600
60	1373	गै.मु.मगरी	0.6070	0.6070
61	1375	गै.मु.मगरी	0.6575	0.6575
62	1321	गै.मु.पत्थर	0.0379	0.0379
63	1322	गै.मु.मगरी	0.9737	0.9737
64	1325/2	गै.मु.मगरी	0.0885	0.0885
65	590	गै.मु. खालखदर	0.8219	0.8219

जिला कलेक्टर, सिरौही

66	591	बारानी-1	0.7208	0.7208
67	592	गै.मु. खालखददर	0.9737	0.9737
68	1503/686	गै.मु.मगरी	11.1782	11.1782
69	701/2	गै.मु.मगरी	1.5680	1.5680
70	878	गै.मु.मगरी	0.3794	0.3794
71	894	गै.मु.मगरी	4.5016	4.5016
72	862/1	गै.मु.मगरी	1.7703	1.7703
73	1521/1053	गै.मु.मगरी	2.0106	2.0106
74	1050/2	बंजर	0.1138	0.1138
कुल योग	किता-74	-	86.7452	86.7452

अतः प्रकरण में विभागीय परिपत्र क्रमांक/प.6(746)राज-3/01 दिनांक 11.01.2002 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रकरण में की गई अनुशंसा के आधार पर ग्राम तलेटी, तहसील आबूरोड के उपरोक्त खसरा नम्बरान की कुल किता 74 कुल रकबा 86.7452 हैक्टेयर भूमि को औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ आरक्षित (Set apart) की जाती है। उक्त भूमि का औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजन के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जायेगा।

जिला कलक्टर, सिरौही
दिनांक 10.12.2021

क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/7337-44
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित हैं :-

1. उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड।
2. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सिरौही को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूरोड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आपके विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।
4. तहसीलदार, आबूरोड को भेजकर लेख है कि उक्त आरक्षित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित रखे जाने का अंकन करावें तथा यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित भूमि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो या उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो।
5. विकास अधिकारी, पंचायत, समिति, आबूरोड।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, तलेटी (तहसील आबूरोड)।
7. पटवारी हल्का जाम्बूडी, तहसील आबूरोड।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर, सिरौही